UPMP010008502026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134**

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 353/2026

आसाराम पुत्र देव सिंह निवासी ग्राम रजपुरा उमई असदनगर जिला एटा।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी/वादी

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आसाराम की ओर से अपराध सं० 174/2025 अंतर्गत धारा 305(a), 331(4) बी.एन.एस थाना बिछवां जिला मैनपुरी के अपराध में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा पन्नालाल पुत्र अंगनू लाल निवासी नगला कवीश्वर थाना बिछवां जिला मैनपुरी द्वारा थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि, "बीती रात को मेरे घर में अज्ञात चोर चोरी कर ले गये और मेरे घर में घुसकर जेवर नगदी आदि निकाल ले गये है। थाने पर आया हूँ, कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये तर्क दिया गया है कि प्रकरण की एफ.आई.आर अज्ञात लोगों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है, प्रार्थी नामजद नहीं है। घटना थाना बिछवां क्षेत्र की है जबकि प्रार्थी कि उस क्षेत्र में कोई रिश्तेदारी नहीं है। उपरोक्त में वादी द्वारा घटना बीती रात की बतायी गयी है जबकि एफ.आई.आर दूसरे दिन रात को 10 बजे दर्ज करायी गयी है। प्रकरण में प्रार्थी से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुयी है जिससे घटना संदिग्ध हो जाती है। पुलिस द्वारा वांछित आख्या में कही भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उसका नाम किस आधार पर प्रकाश में लाया गया है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5– जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता व विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी/अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी ने थाना हाजा पर घटना दिनांक 28.04.2025 को अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर में जेवर नगदी आदि की चोरी करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। दौरान विवेचना प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार करना व उनके ईकबालिया बयान के आधार पर अभियुक्त आसाराम को आरोपी बनाया गया है।

अभियुक्त आसाराम को पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार न करना बताया गया है और न ही उससे कोई बरामदगी होना बताया गया है अपितु अभियुक्त द्वारा स्वंय न्यायालय में आत्मसमर्पण करना बताया गया है। अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त आसाराम दिनांक 17.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण कप्तान व अर्जुन कुमार की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। मामलें के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामलें के कोई गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त आसाराम द्वारा मुकदमा अपराध सं० 174/2025 अन्तर्गत धारा 305(a), 331(4) बी.एन.एस थाना बिछवां जिला मैनपुरी में योजित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को मु० 50,000/– रू० (पच्चास हजार रू०) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन दाखिल करने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि वह उक्त मुकदमें विचारण के दौरान किसी प्रकार से विलंब कारित नहीं करेंगा , किसी प्रकार से साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा और वह आरोप व बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के स्तर पर प्रत्येक दशा में व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक–17.03.2026

ACHCHHE LAL SAROJ

Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.03.18 10:22:57 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी